

कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरूआसागर, झाँसी।

पत्रांक : डायट / वि.बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) / मैमो / 2008-09 / दिनांक : 21.01.09

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) के संदर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद-झाँसी हेतु अनुसूचित जाति 03 तथा अनुसूचित जनजाति 01 कुल-निर्धारित 04 सीटों के सापेक्ष वर्ग एवं श्रेणीवार सीटों के दस गुनी संख्या में प्रथम जांच सूची जो "List of Candidates of verification of original Documents" है, निर्गत कर दी गई है। सम्बंधित सूची एवं कट ऑफ मेरिट संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी के कार्यालय के सूचना पट पर चरपा है। इस जांच सूची के अभ्यर्थी [website-http://jhansi.nic.in](http://jhansi.nic.in) पर या www.scertup.org के home page पर बने "link of the first list for verification original Documents" पर क्लिक करके देख सकते हैं। सूची से संबंधित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र/शिक्षामित्र संबंधी प्रमाणपत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा उनके दो सेट छायाप्रति (स्वप्रमाणित) एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, फाइल और टेग के साथ निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संस्थान में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हों।

वर्ग/श्रेणी	कट ऑफ मेरिट	जांच की तिथि
पुरुष/अनुसूचित जाति/कला	235.41	30.01.2009
पुरुष/अनुसूचित जाति/विज्ञान	208.94	30.01.2009
पुरुष/अनुसूचित जनजाति/कला	169.81	30.01.2009
महिला/अनुसूचित जाति/विज्ञान	213.02	30.01.2009

1- छूटे हुये समस्त आवेदक दिनांक 02.02.2009 को अपने प्रमाणपत्रों की जांच करा सकते हैं।

2- जारी की गयी सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी.टी.सी 2008 (विशेष चयन) में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में जांच हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जारी जांच सूची के मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अर्ह अभ्यर्थी जिनका नाम जांच सूची में सम्मिलित न हो, वे अपना प्रत्यावेदन दिनांक 02.02.2009 तक संस्थान के कार्यालय में आवेदन पत्र के समस्त संलग्नको की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। तिथि 02.02.2009 के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- जारी की गई प्रथम जांच सूची मा. उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।

(बी. पी. पटेल)

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरूआसागर, झाँसी।